



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२२/१/२०२१	<p>पतावली परा जुड़ी बकुलाम रण।  दर १९१ CPC पर बहा बकुलाम सुनी जड़े  वकील जगदी ने अपनी महर में निवेदन किया है  कि ख. नं २०३ में साने जान है, मानवान  ख. नं २१५ रासरा सड़क है। ख. नं २१० की  शुकी भाग पर भाग की है। ख. नं २०३ में जान  के लिए ख. नं २१० में ही डाले हुए ख. नं  २०३ में पहुंचा जा सकता है। व्यक्ति रिपोर्ट  संख्या ख. नं १९३, १९५, २१० में भावजमान  का सार है। जगदी ने ख. नं २१० में ही डाले हुए  पहुंचने की भाग की है। व्यक्ति रिपोर्ट में  हवाला नहीं है ख. नं २१० में ही डाले हुए  ख. नं २०३ में पहुंचने बहिष्। रासरा ख. नं  एक सुराभतन हा इन्होंने व्यक्ति के मिली भाग  की है सन: आशुपत्र पत्र १५ १५१ CPC खारिज का  व्यक्ति रिपोर्ट पुनः भावजमान का निवेदन किया है  इसी प्रकार वकील सखी ने अपनी बहा  में निवेदन किया है कि सरस भाग मानवान  के ख. नं २०३ में साने जान है, रासरा है  भाग रिपोर्ट का दि १०/२/२०२० में ख. नं  १९३, १९५ में रासरा विद्यमान है। २५१ का  दरव नहीं जाना जहां रासरा की भाग की है  बहा न ही रासरा है, रेणडी में रासरा है,  प्रवी दिशा में ही परके मयान, नवव्य</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
रोपाड़ नगर (जोधपुर)

अवेसियों के कानून हुए हैं जिनके जारी ग्राफ पर है इसी प्रकार वकील अर्थात् के लिखित अर्थ पर की एवं जारी नया के लाभ राजस्थान हाइकोर्ट के सादेशों के अंतर्गत एवं जारी ग्राफ पर प्रार्थना 151 CR स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है इसमें अर्थ नव्यु नाम द्वा. 151 CR पर सुनी गई अर्थ पर मनन किया जाता है पर अलक्ष्य दस्तावेज, जारी ग्राफ, हाइकोर्ट की रोलिंग का स्व-लाभन किया जाता पाया गया कि तहसीलदार जी. मा. श. की मॉक, कमिश्नर गैरपारी अनुला वर्तमान में ख. नं. 195 की दक्षिणी गेट के सहारे ख. नं. 193 में से होकर ख. नं. 193 व ख. नं. 206 के मध्य से होकर ख. नं. 210 में मु. रा. म. में जाकर आकर आकर बना रहा है साथ ही अनजिपु न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण निर्णय 2016 (2) 15 (Civ) पेज 765 अनुला जहां पर भूमि में सारने जाने का वैकल्पिक मांगी लिखित है जो जमा रा. नही खोला जा सकता। इस आधार पर उच्च दस्तावेजों का मनन करने पर अर्थात् का प्रार्थना

  
 निपटारा अधिकारी  
 बीकानेर नगर (जोधपुर)

नम्बर व तारी  
अहकाम जो इ  
हुक्म की तामी  
में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्र ७/९. १९११ C.R.C स्वीकार किया  
जाया है एके प्राथी का प्राग्रनु पत्र.  
७/९ २९११ क' R. T. Act खारिज  
किया जाया है पत्रावली केवल शुभा  
होकर तम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
धोपाड़ महर (जोधपुर)